

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-1075 / 2014

संस्थित दिनांक-18.11.2014

फाई. क्र.234503008742014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखण्ड
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

रविन्द्र ठाकरे पिता महेश, उम्र-30 वर्ष,
 निवासी ग्राम चनई थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट

- - - - **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 15/01/2018 को घोषित)**

01- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 14.10.2014 को दोपहर करीब 01:30 से 02:30 के मध्य ग्राम सायल नहरटोला के पास थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0420 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत विजेन्द्र उर्फ गोलू को मुँह व जबड़े में गंभीर चोट पहुँचाकर घोर उपहति कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा से तहरीर क्रमांक 48/14 दिनांक 15.10.14 की जांच चित्रसेन ठाकरे सहायक उप निरीक्षक द्वारा की गई। जांच उपरांत गवाह धर्मेन्द्र मरावी से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लेख किये गये, जिसके कथन अनुसार घटना दिनांक को मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0420 के चालक द्वारा वाहन को खतरनाक ढंग से तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम. डी.1658 के चालक विजेन्द्र उर्फ गोलू धुर्वे को ठोस मार दिया, जिससे उसे चोटें आई तथा मोटर सायकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। आहत को 108 एम्बुलेंस में उपचार के लिये बिरसा भिजवाया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

कर विवेचना में लिया गया। अस्पताल तहरीर अनुसार आहत विजेन्द्र उर्फ गोलू की एम.एल.सी. कराई गई। डॉ० द्वारा मुर्तजर की गंभीर स्थिति को देखते हुये तत्काल जिला अस्पताल बालाघाट के लिये रिफर किया गया। मुर्तजर के साथ में आये व्यक्ति ने बताया कि मुर्तजर का एक्सीडेंट ग्राम पल्हेरा थाना मलाजखण्ड में मोहसीन बस से टकराने से हुआ। विवेचना दौरान आरोपी वाहन क्रमांक एम.पी.50पी.0420 बस को मय दस्तावेज के जप्त कर न्यायालय के आदेशानुसार वाहन मालिक को सुपुर्द में दिया गया है। आरोपी चालक रविन्द्र ठाकरे को धारा-41(1) जा.फौ. का नोटिस तामील किया गया। प्रकरण में धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 161/14 दिनांक 13.11.14 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

01. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 14.10.2014 को दोपहर करीब 01:30 से 02:30 के मध्य ग्राम सायल नहरटोला के पास थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0420 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

02. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर टक्कर मारकर आहत विजेन्द्र उर्फ गोलू को मुंह व जबड़े में गंभीर चोट पहुंचाकर घोर उपहति कारित की ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02**

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी विजेन्द्र धुर्वे अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी रविन्द्र ठाकरे को जानता है। घटना अक्टूबर 2014 में दोपहर 01:30 बजे की है। वह और अनिल मेरावी ग्राम देवगांव मोटर सायकिल से जा रहे थे, तब मोहसीन बस के चालक ने बस को तेज गति से चलाकर उनकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया, जिससे उन्हें चोटें आई थी। उसे मुँह और जबड़े में चोट आई थी। उक्त बस का नंबर 0420 था। उक्त दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। उस समय बस को आरोपी रविन्द्र चला रहा था। आरोपी अपनी बस को उनकी गाड़ी के पीछे से कटाकर आगे ले गया और सवारी उतारने के लिये अचानक बस को रोक दिया, जिससे उनकी मोटर सायकिल बस के पिछले भाग से टकरा गई थी, जिससे घटना घटित हुई थी। उसका मुलाहिजा बिरसा चिकित्सालय में हुआ तथा उसके बाद बालाघाट में ईलाज हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसे आज बस का पूरा नंबर मालूम नहीं है।

06— साक्षी विजेन्द्र धुर्वे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मोहसीन बस आगे थी और वह मोटर सायकिल में पीछे से आ रहे थे। साक्षी के अनुसार आरोपी बस काटकर आगे ले गया। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को अपने कथन में बता दिया था कि आरोपी बस काटकर आगे ले गया था। यदि उक्त बात उसके कथन में लिखी ना हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने मोटर सायकिल चलाते समय ड्रायवर को नहीं देखा था, मोहसीन बस के चालक द्वारा सवारी उतारने के लिये बस को रोका था, सवारी उतारते समय उनकी मोटर सायकिल का एक्सीडेंट हुआ था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि जब गाड़ी

सवारी उतारने रूकी, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। साक्षी के अनुसार दुर्घटना के समय गाड़ी रुक नहीं पाई थी। यह अस्वीकार किया है कि बस रूकी थी तो सवारी उतार दिया था। साक्षी के अनुसार बस रूकी नहीं थी।

07— साक्षी विजेन्द्र धुर्वे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि वह शराब के नशे में घटना के समय बस के पीछे से टकरा गया था, उनकी मोटरसायकिल की गति 60-70 कि.मी. प्रति घंटा था, घटना के समय वह अपना वाहन तेज गति व लापरवाही से चला रहा था, सवारी उतारते समय वाहन की गति धीमी करते हैं, उनकी गलती से उन्हें चोटें आयी थी बस चालक की कोई गलती नहीं थी, घटना के समय उनकी मोटर सायकिल के ब्रेक कमजोर थे, उन्होंने मोहसिन बस के चालक को झूठा फँसाने के लिए झूठी रिपोर्ट की है।

08— साक्षी धर्मेन्द्र अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी तथा आहत विजेन्द्र को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 4-5 महीने पूर्व पल्हेरा के पास मेन रोड पर करीब 2:30 बजे की है। वह अपने घर से पल्हेरा चौक तरफ सायकिल से जा रहा था। मोहसीन बस बालाघाट से मंडई की ओर जा रही थी और आहत विजेन्द्र बस के पीछे से जा रहा था। मोहसीन बस धीमी हुई और आहत मोटर सायकिल को तेज गति से चला रहा था और बस में टकरा गया था, जिससे आहत के मुँह में चोट लगी थी एवं मोटर सायकिल क्षतिग्रस्त हो गयी थी। बस वाले ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल को उपचार के लिए बिरसा अस्पताल भिजवाये थे। घटना को उसके अलावा अन्य लोगों ने भी देखे थे। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी.01 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस वालों ने उसके सामने क्षतिग्रस्त हालत में मोटर सायकिल को घटनास्थल से जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी.02 तैयार किये थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके

बयान लिये थे।

09— साक्षी धर्मेन्द्र अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 14.10.14 को समय करीब ढेड़ से ढाई बजे के बीच की है, वह पल्हेरा चौक तरफ से सायकिल से अपने घर जा रहा था, उसके आगे मलाजखण्ड से मंडई तरफ मोहसीन बस जा रही थी, आहत विजेन्द्र मोहसीन बस के पीछे मोटर सायकिल से जा रहा था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0420 के चालक ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर सवारी उतारने के लिए बस को रोक दिया, मोटर सायकिल चालक को बस चालक ने टक्कर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना होने के पश्चात वह अपने घर में चला गया था, प्रपी.02 जप्ती पत्रक के हस्ताक्षर उसने थाना मलाजखण्ड में किया था, प्रपी.01 मौका-नक्शा पर हस्ताक्षर उसने थाना मलाजखण्ड में किया था, मोटर सायकिल वाले शराब पीये हुये थे, आहत विजेन्द्र के जेब से शराब की बॉटल भी गिरी थी, मोटर सायकिल को तेज गति से चला रहा था, मोहसीन बस रुकी तो मोटर सायकिल तेज गति से होने के कारण मोहसीन बस के पीछे भाग पर टकरा गई, तेज गति से चलने के कारण मोटर सायकिल चालक को चोट आई थी, उक्त दुर्घटना मोटर सायकिल चालक के द्वारा तेज गति से चलाने के कारण हुई थी, मोहसीन बस के चालक की कोई गलती नहीं थी।

10— साक्षी शांतिबाई धुर्वे अ.सा.04 ने कथन किया है वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना करीब तीन साल पूर्व ग्राम पल्हेरा के पास की है। घटना के समय वह रिश्तेदारी में ग्राम देवगांव गई थी। उसका लड़का विजेन्द्र अनिल के साथ उसे लेने मोटर साइकिल से ग्राम देवगांव आ रहा था, जिसका पल्हेरा के पास मोहसिन बस से एक्सीडेंट हो गया, जिसे ईलाज हेतु बिरसा अस्पताल ले गये थे। वह जब बिरसा अस्पताल पहुँची तो देखा कि उसके लड़के को मुँह

में गंभीर चोटें आयी थी। उसे पता लगा कि मोहसिन बस के चालक ने सवारी उतारने के दौरान उसके लड़के का एक्सीडेंट कर दिया था। बिरसा अस्पताल के बाद उसके लड़के को ईलाज के लिए बालाघाट अस्पताल रिफर कर दिये, उसके बाद मिताली अस्पताल में उसके लड़के का ईलाज कराये। घटना बस वाले की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी, वह लोगों के बताये अनुसार बस का नाम बता रही है, वह नहीं बता सकती कि घटना किसकी गलती से हुई, क्योंकि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी।

11— साक्षी रामदयाल अ.सा.05 ने कथन किया है वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 14.10.14 को दोपहर करीब 01:30 से ढाई बजे के बीच की है, घटना के समय वह खेत जा रहा था, तभी भानसिंह मरकाम के खेत के पास मेन रोड से मलाजखण्ड तरफ से मंढ़ई जा रही मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0420 के चालक ने वाहन को खतरनाक ढंग से लापरवाहीपूर्वक चलाकर अचानक रोक दिया, जिससे मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.50एम.डी.1658 पर सवार दो व्यक्ति ठोस लगने से गिर गये, जिससे चालक को सिर तथा मुँह में चोट आयी, मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी और 108 एम्बूलेंस में घायल को उपचार हेतु बिरसा रवाना किये, घटना को धर्मेन्द्र मरावी ने देखा था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को देने से इंकार किया।

12— साक्षी रामदयाल अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल के पास से क्षतिग्रस्त हीरो होण्डा क्रमांक एम.पी.50एम.डी.1658

जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर कर दिया था, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

13— साक्षी अनिल अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2014 की दिन के करीब 12:30 बजे ग्राम पल्हेरा की है। घटना के समय वह लोग मोटर सायकिल से ग्राम पल्हेरा से मण्डई की ओर जा रहे थे, जिसे विजेन्द्र चला रहा था। उनके आगे मोहसीन बस चल रही थी। बस चालक द्वारा अचानक बस रोकने से उनकी मोटर सायकिल बस से टकरा गई, जिससे वह दोनों गिर गये। उसे कोई चोट नहीं आई थी, जबकि विजेन्द्र को जबड़े में चोट लगी थी। घटनास्थल से विजेन्द्र को एंबुलेंस से बिरसा अस्पताल ले जाने के बाद बालाघाट अस्पताल ले गये थे और उसके बाद वहाँ प्रायवेट अस्पताल में विजेन्द्र का ईलाज किया गया था। वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी क्योंकि वह मोटर सायकिल में पीछे बैठा हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मोहसीन बस आगे थी और वह लोग पीछे से मोटर सायकिल में आ रहे थे, वह मोटर सायकिल में पीछे बैठा हुआ था इसलिये नहीं देख पाया था कि किसकी गलती से उक्त दुर्घटना घटित हुई थी। उसे नहीं मालूम कि विजेन्द्र गाड़ी कैसे चला रहा था। उसे नहीं मालूम कि बस चालक ने सवारी के लिये बस को रोका था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि विजेन्द्र मोटर सायकिल को तेज गति से चला रहा था, मोटर सायकिल तेज गति से होने के कारण अचानक बस के रूकने से वह बस से टकरा गई थी, इसी कारण से दुर्घटना कारित हुई थी, उक्त दुर्घटना विजेन्द्र की गलती से हुई थी, क्योंकि वह तेज गति से था।

14— साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह दिनांक 14.10.2014 को सी.एच.सी बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक तहरीर टी.आई. बिरसा को भेजी गई थी जो प्र.पी.16 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें लेख है कि आहत विजेन्द्र उर्फ गोलू को चोटिल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसे रोड एक्सीडेंट से चोटें आई थी। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक कमलेश क्रमांक 1174 द्वारा आहत विजेन्द्र उर्फ गोलू को लाने पर उसके द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। परीक्षण करने पर आहत के दाहिने कान की लौ पर एक कटी-फटी चोट जिसका आकार पौन इंच गुणा आधा इंच गुणा आधा इंच थी। आहत के मुँह से खून बह रहा था चूँकि उसने दोनों दातों को जमा लिया था। मुँह खोलकर देखना संभव नहीं था। दोनों पुतलियाँ फैली हुई थी। हृदय की गति तेज थी। नाड़ी की गति 76 प्र.मि. तथा बी.पी.90/60 थी। किसी भी दर्द के प्रति संवेदना नहीं दे रहा था।

15— साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.10 के अनुसार दोनों पलकों पर हल्का सा नीलापन था तथा पूरे चेहरे पर अनियमित आकार की थी। उसके मतानुसार उक्त चोट किसी कड़े एवं बोथरे वस्तु के तेज प्रहार अथवा तेजी से टकराने के फलस्वरूप आना प्रतीत होती थी। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी। अन्य विवरण के संबंध में आहत को हेड इंजुरी की संभावना को देखते हुए उसे एक्स-रे, उपचार तथा अभिमत हेतु विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट की ओर रिफर किया गया था। उक्त चोट को ठीक होने में 08 से 10 दिन का समय लग सकता था तथा व्यक्ति शराब की मदहोशी की अवस्था में था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.17 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त चोटें गिरने से आ सकती हैं, उसने परीक्षण पर आहत को साधारण चोट पाई थी, उसके द्वारा आहत के मुँह का परीक्षण नहीं किया गया था।

16— साक्षी डॉ० सी.के. पारधी अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 14.10.2014 को मिताली अस्पताल बालाघाट में चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके अस्पताल में श्री विजेन्द्र को मोटर सायकिल व बस के बीच में एक्सीडेंट होने के कारण ईलाज हेतु भर्ती किया गया था। परीक्षण करने पर आहत के दाहिने घुटने पर खरोंच का निशान व गाल के दाहिने तरफ सूजन थी। मरीज बेहोश था। उसके अस्पताल में मरीज का दिनांक 14.10.2014 से 22.10.2014 तक ईलाज किया गया तथा दिनांक 22.10.2014 को उसे डिस्चार्ज किया गया। उसके अस्पताल में मरीज के सिर का सी.टी. स्कैन किया गया। उक्त सी.टी. स्कैन में मरीज के दिमाग में सूजन पाई गई। डिस्चार्ज टिकिट प्र.पी.06 है तथा सी.टी. स्कैन प्र.पी.07 है। प्र.पी.07 पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आहत विजेन्द्र को दिनांक 22.10.2014 के पूर्व डिस्चार्ज कर दिया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि सी.टी. स्कैन डॉ० नाकाड़े रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की गई है।

17— साक्षी डॉ० टी.टी. लाम्बकाने अ.सा.03 ने कथन किया है वह दिनांक 21.10.2014 को मातोश्री डेंटल क्लीनिक बालाघाट में चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उस दिन आहत विजेन्द्र धुर्वे को अन्य चिकित्सक द्वारा रिफर किये जाने पर उसके द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। परीक्षण में उसने आहत के नीचे का जबड़ा दो जगह से फ्रैक्चर पाया था, जिसमें बांये साईड केनाईन रीजन एवं दांये साईड में कोडाइलर रीजन था। उसके द्वारा एक्स-रे पश्चात जबड़ा ठीक किया गया था। उसके मतानुसार आहत को चोट दो या तीन दिन के पहले की थी। उक्त चोट गिरने से तथा दुर्घटना में अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चोट पहुँचाये जाने से आ सकती है। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त चोट गिरने से आ सकती है, उक्त चोट तीन से चार दिवस पूर्व की थी,

किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा आहत का परीक्षण नहीं किया गया था और अपने मन से रिपोर्ट तैयार की गई थी।

18— साक्षी संतकुमार अ.सा.09 ने कथन किया है उसने दिनांक 29.10.2014 को थाना मलाजखंड के अपराध क्रमांक 157/14 में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0420 का परीक्षण किया था। परीक्षण पर उसने वाहन के इंजन, चेचिस, स्टेरिंग, क्लच, गियर तथा ब्रेक सही अवस्था में पाये थे। उसकी वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.15 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे वाहन परीक्षण का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है और ना ही उसने उक्त संबंध में कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसने थाना मलाजखंड में वाहन का कोई परीक्षण नहीं किया था और पुलिस वालों के कहने पर रिपोर्ट तैयार किया था, उसने पुलिसवालों द्वारा तैयार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया है।

19— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.07 ने कथन किया है वह दिनांक 15.10.2014 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा से अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 157/14 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 लेखबद्ध की गई थी, जिसके ए से ए तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर साक्षी धर्मेन्द्र मरावी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल के पास से साक्षी धर्मेन्द्र मरावी और रामदयाल पंचेश्वर के समक्ष क्षतिग्रस्त हीरो होण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.डी. 1658 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

20— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.07 के अनुसार उसके द्वारा दिनांक 26.10.2014 को वाहन मालिक अब्दुल हनीफ को घटनास्थल में प्रयुक्त मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50.पी.0420 के संबंध में धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस प्र.पी.03 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नोटिस का जवाब उसके पृष्ठ भाग पर वाहन मालिक द्वारा दिया गया था, जिसमें उसने बताया था कि घटना के समय बस को आरोपी रविन्द्र ठाकरे चला रहा था जो प्र.पी.10 है जिसके ए से ए भाग पर वाहन मालिक अब्दुल हनीफ के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.10.2014 को आहत विजेन्द्र की माँ शांति धुर्वे द्वारा पेश करने पर आहत विजेन्द्र के डेन्टल सर्जन की रिपोर्ट एक्स-रे फिल्म सहित सी.टी. स्कैन रिपोर्ट, मिताली अस्पताल के दस्तावेज तथा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 50एम.डी.1658 के दस्तावेज गवाह सुखचंद परते एवं बिसनु के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.11 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर शांति धुर्वे के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त मोटर सायकिल एम.पी.50एम.डी.01658 हिफाजतनामा पर उक्त गवाहों के समक्ष शांति धुर्वे को दिया गया था जो प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर शांति धुर्वे के हस्ताक्षर हैं।

21— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.07 के अनुसार उसके द्वारा दिनांक 29.10.2014 को घटना में प्रयुक्त वाहन मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0420 मय कागजात गवाह रविन्द्र ठाकरे तथा राजेश बघाड़े के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.13 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर वाहन मालिक अब्दुल हनीफ के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 15.10.2014 को साक्षी धर्मेन्द्र दिनांक 17.10.2014 को साक्षी शांति धुर्वे, अनिल मरावी तथा दिनांक 27.10.2014 को आहत विजेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन का दिनांक 29.10.2014 को वाहन परीक्षणकर्ता आरक्षक संतकुमार उइके से मैकेनिकल

परीक्षण कराया था तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी को धारा-41 दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस गवाह अब्दुल हनीफ एवं राजेश वघाडे के समक्ष दिया था, जो प्र.पी.14 है जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

22— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि धारा-133 मो.व्ही. एक्ट के तहत वाहन मालिक अब्दुल हनीफ को जारी नोटिस में वाहन मालिक अब्दुल हनीफ के हस्ताक्षर नहीं हैं, उक्त प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्रकरण में संलग्न किया गया है, जिसमें दिनांक अंकित नहीं है, उक्त प्रमाण पत्र को उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि धारा-133 मो. व्ही. एक्ट के तहत कोई सूचना उसके द्वारा वाहन मालिक को नहीं दी गई है, इसलिये वाहन मालिक के हस्ताक्षर नहीं हैं, उसने मौका-नक्शा थाने में बैठकर तैयार किया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उपरोक्त नक्शा उसने प्रार्थी की निशादेही पर नहीं बनाया था साक्षी की निशादेही पर बनाया था, प्रकरण में प्रार्थी की मोटर सायकिल जप्त हुई थी, उसने प्रार्थी के वाहन को हिफाजतनामे पर छोड़ दिया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रार्थी के वाहन द्वारा घटना कारित नहीं की गई थी, इसलिये उक्त वाहन को हिफाजतनामे में छोड़ दिया गया था, हिफाजतनामा की कार्यवाही सुखचंद एवं बिसनुसिंह उके के समक्ष नहीं हुई थी, प्रार्थी का वाहन सुपुर्दनामे में न्यायालय से ही दे सकते हैं। साक्षी के अनुसार आरोपी का वाहन ही न्यायालय में सुपुर्दनामा में दिया जाता है, प्रपी.07 की कार्यवाही उसके द्वारा नहीं की गयी थी, वाहन मालिक द्वारा कोई वाहन प्रकरण में मय दस्तावेज के पेश नहीं किया गया था।

23— साक्षी चित्रसेन ठाकरे अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन

सुझावों को स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रपी-02 घटनास्थल से जप्त किया गया था वह किसका वाहन था उसकी उसे जानकारी नहीं है, घटनास्थल के साक्षीगण भी रामदयाल पंचेश्वर व धर्मेन्द्र मेरावी है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने गवाह रामदयाल पंचेश्वर व धर्मेन्द्र मेरावी के कथन उनके बताये अनुसार लेख नहीं किये थे, दिनांक 27.10.14 को विजेन्द्र उर्फ गोलू उपस्थित नहीं था और उक्त कथन उसने अपने मन से लेख कर लिये थे, उसने प्रकरण में झूठी विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

24— बचाव साक्षी प्रमोद ब.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी रविन्द्र ठाकरे तथा प्रार्थी को जानता है। घटना दिनांक 14.10.2014 की है। घटना के समय वह मलाजखंड से मोहसीन बस में बैठा था, जिसका क्रमांक एम.पी.50.पी. 420 था। पल्हेरा नहरटोला में उक्त वाहन उसे उतारने के लिये रुका था, धीमी गति से चल रहा था। वह बाईक सवार गोलू नामक व्यक्ति को जानता एवं पहचानता है, जो शराब पीकर अपने वाहन को तेज गति से चलाकर मोहसीन बस को पीछे से टक्कर मार दिया। बाईक चालक गोलू के पीछे एक व्यक्ति बैठा था, जो गाड़ी सहित गिर गये थे, गिरने से उन्हें चोट आई थी। दुर्घटना बाईक चालक की गलती से हुई थी। बाईक चालक को उसने तथा बस चालक रविन्द्र ठाकरे ने अस्पताल लेकर गये थे। उक्त घटना में बस चालक आरोपी रविन्द्र ठाकरे की कोई गलती नहीं थी। बाईक चालक को जो चोट आई थी वह उसकी स्वयं की गलती के कारण आई थी। आरोपी रविन्द्र ठाकरे को प्रकरण में झूठा फँसाया गया है।

25— बचाव साक्षी प्रमोद ब.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण कथन किया है कि उसे घटना का दिनांक याद है। घटना के समय वह बस में बैठकर पल्हेरा से नहरटोला जा रहा था। वह बस में पीछे की तरफ बैठा था। उक्त साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि बस में सवार होने के कारण उसने

मोटर सायकिल वाले को नहीं देखा था, वह मोटर सायकिल वालों के शराब पीने वाली बात झूठी बात रहा है। साक्षी के अनुसार घायलों को उठाने के दौरान उनके मुँह से शराब की गंध आ रही थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह आरोपी को काफी वर्षों से जानता है, उसके आरोपी से अच्छे संबंध है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी से अच्छे संबंधों के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है, घटना के समय बस तेज गति से चल रही थी तथा दुर्घटना बस के अचानक रोक देने के कारण ही घटित हुई थी।

26— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को सड़क दुर्घटना में आहत विजेन्द्र उर्फ गोलू को चोटें आई थी, परन्तु उक्त चोट अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण आचरण से कारित हुई थी, उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। आहत के वाहन पर सवार अनिल अ.सा.08 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मोटर सायकिल तेज गति से होने के कारण अचानक बस के रुकने पर बस से टकरा गई थी और दुर्घटना स्वयं विजेन्द्र की गलती से हुई थी। इसी प्रकार के कथन धर्मेन्द्र अ.सा.02 तथा बचाव साक्षी प्रमोद ब.सा.01 ने किये हैं। यदि तर्क के लिए उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाये तब भी आहत के साथ मोटर सायकिल पर सवार अनिल अ.सा.08 की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उक्त साक्षी क्यों अपने परिचित आहत के विरुद्ध असत्य कथन कर आरोपी को बचाने का प्रयास करेगा। स्वयं आहत विजेन्द्र अ.सा.01 द्वारा अपने पुलिस कथन एवं संपूर्ण साक्ष्य के विपरीत आरोपी द्वारा बस काटकर आगे ले जाने के पश्चात सवारी उतारने के लिए रोकने के दौरान दुर्घटना होने के कथन किये हैं, जिस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

27— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक

द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत विजेन्द्र उर्फ गोलू को मुँह व जबड़े में गंभीर चोट पहुँचाकर घोर उपहति कारित किया। अतः अभियुक्त रविन्द्र ठाकरे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

28— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

29— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50पी.0420 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

30— आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है। इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)